न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
78 / 2025 प्रा.पत्र / 2025	04.08.2025	18.09.2025

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री सुरेश सैनी पुत्र श्री किशोर लाल माली निवासी मालियों की ढाणी झिलाई तह. निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स जगदम्बा किराणा स्टोर सिराही मोड झिलाई तह. निवाई जिला टोंक। मो. नं. 6375767239
2–मैसर्स जगदम्बा किराणा स्टोर सिराही मोड झिलाई तह. निवाई जिला टोंक। पिनकोड–304025

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii), (iv) एवं दण्डनीय धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थी श्री सुरेश सैनी स्वयं उप0।

:–निर्णय–: दिनांक 18/9/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.062025 को समय 12:45 पी.एम. पर मैसर्स जगदम्बा किराणा स्टोर सिराही मोड झिलाई तह. निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ पर प्रोपराइटर की हैसियत से श्री सुरेश सैनी पुत्र श्री किशोर लाल माली अपने प्रतिष्ठान मैसर्स जगदम्बा किराणा स्टोर सिराही मोड झिलाई तह. निवाई जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री सुरेश सैनी पुत्र श्री किशोर लाल माली को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सुरेश सैनी पुत्र श्री किशोर लाल माली ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान मे स्टील की एक टंकी मे लगभग 10–12 किलोग्राम **सरसों तेल (खुला)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री सुरेश सैनी पुत्र श्री किशोर लाल माली को फार्म न 5 ए मे वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियो मे नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

कर प्रतियो मे विक्रेता श्री सुरेश सैनी पुत्र श्री किशोर लाल माली व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वय हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर यह **सरसों तेल (खुला)** वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 1600 ग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **सरसों तेल (खुला)** 1600 ग्राम को चार साफ व सूखी प्लास्टिक की शिशियो मे बराबर–बराबर प्रत्येक शीशी में 400–400 ग्राम भरकर नियमानुसार चार भाग तैयार कर अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एव कमाक आई–4397 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–4397 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमाक एफएसएसए/2025/887 दिनांक 30.06.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट स.एलएस/2607/एक्ट/2025/2643 दिनाक 24.06.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाच करवाने हेतु क्रय किया गया **सरसों तेल (खुला)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एव नियम व विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** व खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एव नियम व विनियम 2011 के रेगुलेशन (विक्रय प्रतिषेध एव निर्बंधन) न 2.3.15(1)(b) के अनुसार **कॉन्ट्रावेन (contravene)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय मे प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री सुरेश सैनी स्वय उपस्थित हुए। अप्रार्थी ने बहस की तथा बहस मे निवेदन किया

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **सरसों तेल (खुला)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **कॉन्ट्रावेन (contravene)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **सरसों तेल (खुला)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **कॉन्ट्रावेन (contravene)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii), (iv) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नही करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/9/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन [illegible])
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
टोंक
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज